अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में दिनांक – 24.09.18 को कुपोषण पर यूनिसेफ में आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. सुश्री के0 एच0 चटर्जी, Nutrition Sepecialist

अनुपस्थितिः–

1. श्री राहुल, स्वास्थ्य विशेषज्ञ।
2. ओंकार त्रिपाठी, पंचायत विशेषज्ञ।
3. सुश्री पारुल, स्कूली शिक्षा विशेषज्ञ।

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

1. ज्ञात है कि राज्य खाद्य आयोग को निम्न क्षेत्रों में कार्य करना है :–

   (क) आँगनबाड़ी कार्यक्रम।

   (ख) जनवितरण प्रणाली कार्यक्रम।

   (ग) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।

   वर्त्तमान में सभी विभागों ने विभिन्न कार्यक्रमों एवं उसे लागू करने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के लिए अलग–अलग निदेश निर्गत किए गए हैं।

   इन सभी पत्रों को संकलित कर एक समेकित पुस्तिका निर्गत करने की आवश्यकता है।

   यूनिसेफ में कार्यरत उक्त सभी विशेषज्ञों के पास विभाग से संबंधित पत्र की प्रति होगी। जो पत्र उनके पास नही है, उसे विभाग से संपर्क कर प्राप्त करें।

   निर्णय लिया गया कि एक माह के अन्दर सभी निदेश संकलित कर यूनिसेफ राज्य प्रमुख को प्रस्तुत करें। इन्हें संकलित करने का कार्य राज्य खाद्य आयोग करेगा।

2. MTC का अपना प्रोटोकॉल है, उनके द्वारा लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
3. समाज कल्याण विभाग द्वारा आँगनबाड़ी में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसमें यूनिसेफ द्वारा तकनिकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
4. पूरे झारखण्ड में आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिये ट्रेनिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता महसूस की गई।
5. सुश्री के0 एच0 चटर्जी द्वारा बताया गया कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाता है, इनके द्वारा CDPO, CDPO द्वारा Lady Supervisor को एवं Lady Supervisor द्वारा आँगनबाड़ी सहायिका को ट्रेनिंग दिया जाता है।

6. ICDS द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र में Tablet Base Monitoring देने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों का Height एवं Weight डालने पर Tablet Automatic बता देता है कि बच्चा कुपोषित है या नहीं।
7. 80% कुपोषित बच्चों का उपचार घर में हो सकता है, केवल 20% बच्चों को चिकित्सा केन्द्र में भर्त्ती करने की आवश्यकता होती है।
8. झारखण्ड में अति कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 11.4 है एवं खूँटी में 27% है, जो सबसे खराब है।
9. कुपोषण उपचार केन्द्र पर बच्चे की माँ को 100 रु0 प्रतिदिन उनके खाते के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता था। इसमें पैसे की निकासी में काफी सुविधा होती थी। जिसके कारण वे कुपोषित केन्द्र में जाने से कतराती थी। अब 100 रु0 उन्हें नगद दिया जाता है। लेकिन, कुपोषित केन्द्र में खाने की सुविधा नहीं होने के कारण 100 रु0 का उपयोग नहीं कर पाती हैं। यदि हर कुपोषित केन्द्र में दाल–भात केन्द्र खोला जाय तो काफी सुविधा होगी।
10. कुपोषित बच्चों का identification के लिये ट्रेनिंग का अभाव है।
11. जिन बच्चों को कुपोषण के लिये पहचान भी किया जाता है, उसकी सूचना चिकित्सा उपचार केन्द्र को नहीं मिल पाता है। इन सूचना का आदान–प्रदान कैसे हो, इस पर एक माह में एक प्रोटोकॉल बनाने का अनुरोध सुश्री के0 एच0 चटर्जी से किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0(बैठक) 05/2018 – 577 राँची, दिनांकः– 26.09.18

प्रतिलिपिः– सुश्री मधुलिका, राज्य प्रमुख, झारखण्ड यूनिसेफ, विश्वा कैंपस, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।